



अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्दा दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-387/2019

1. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सहीराम पुत्र पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. पतराम पुत्र बस्ती राम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र बस्ती राम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. कलावती पुत्री दुलीचन्द जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. शीशपाल पुत्र दुलीचन्द जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वर पुत्र मनीराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. श्रवण पुत्र मनीराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. आशाराम पुत्र मनीराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. नौरंग पुत्र मनीराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. जगसीरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. गुरतेजसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. गुरदयालकौर पत्नी गुरबक्शसिंह कौम जाटसिख साकिन सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
10. जगदेवसिंह पुत्र जीतसिंह कौम कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. अमरजीतकौर पत्नी थमनसिंह कौम कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा।
12. सहीराम पुत्र हरचन्द कौम जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अन्तर्गत धारा :-53,88 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

दिनांक :- 20/5/25

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह चौहान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरजिन्दर सिंह रमाणा राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 288 दिनांक 24.03.2025 के आधार पर निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री की जाती है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। निम्न आदेशा अनुसार रकमराज अलग कायम की जावे-

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

क्र.सं.	वादी / प्रतिवादी का नाम	रकबा
1	जगसीरसिंह गुरतेजसिंह पि. सुन्दरसिंह बहिब जाति कुम्हार सा. अयालकी	चक 20 जेआरके प.न. 40/254 (40) 21 ता 23 की 0.759 है. नहरी, प.न. 39/254 (39) 8, 13, 18, 23 1.012 है. नहरी प.न. 39/255 (49) 4, 5, 7, 14, 17, 24 की 1.518 है. नहरी मय गैर मु. कुल 3.289 है. नहरी मय गैर मु.
2	कलावती पत्नि दुलीचन्द, शिशपाल पुत्र दुलीचन्द बहिब साकिन अयालकी खातेदार	चक 20 जेआरके प.न. 40/255 (48) 11 ता 14, 15/1, 15/2, 20 कुल 1.518 है. नहरी मय गै.मु. प.न. 39/255 (49) 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु.
3	रामेश्वर,श्रवण,आशाराम,नोरंग पि. मनीराम जाति स्वामी सा. अयालकी खातेदार	चक 20 जेआरके प.न. 39/254 (39) 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 2.024 है. नहरी मय गै.मु. कुल 2.024 हैक्ट. नहरी मय गै. मु.
4	जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति बैरागी सा. अयालकी खातेदार	चक 21 जेआरके प.न. 39/254 (32) किला 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 22 की कुल 2.530 हैक्ट. नहरी
5	सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बैरागी सा.अयालकी खातेदार	चक 21 जेआरके प.न. 38/255 (38) 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 कुल 0.759 है. नहरी प.न. 39/255 (39) 18/0.164 मय रास्ता 0.026 है. 19/0.177 मय रास्ता 0.013 है 20/0.177 मय रास्ता 0.013 21/.253, 22/.253, 23/.240 मय रास्ता 0.013 है 0 कुल 2.088 है. नहरी मय गैर मु.
6	सहीराम पुत्र रामचन्द्र जाति बैरागी सा. अयालकी खातेदार	चक 21 जेआरके प.न.38/255 (38) किला न 3, 4, 7/.241, 8/.240 की कुल 0.987 है. नहरी
7	राजेन्द्र, कालूराम पिसरान पतराम जाति बैरागी साकिनअयालकी खातेदार	चक 21 जेआरके प.न. 39/255 (39) 1 ता 3, 8 ता 13 की 2.277 है 18/0.063, 19/0.063, 20/0.063 कुल 2.466 है. नहरी मय
8	ओमप्रकाश रामकुमार धनराज मदनलाल पि. बृजलाल बहिब जाति बैरागी साकिन अयालकी खातेदार	चक 21 जेआरके प.न.38/255 (38) 7/.012, 8/.013, 13, 14, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.049 है. नहरी मय गै.मु.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा प्राथमिक डिक्री में प्रस्तावित रास्ता उक्तानुसार दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों से प्रतिकर के रूप में डीएलसी का दुगनी राशी जमा करवाया जाकर अमलदरामद करें।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे



(अमिता बिरसोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा